औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मामलों का निपटान

2107 **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपनी स्थापना के बाद से केवल 967 मामलों का ही निपटान किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 487 मामले निपटान के लिए प्रक्रियाधीन हैं ; यदि हां, तो उनमें से कितने मामले विचाराधीन हैं , और

(ग) लम्बित मामलों का राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई०एफ०आर०) ने सूचित किया कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी, (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अन्तर्गत दिनांक 31-01-94 की स्थिति के अनुसार उसने अपने पास दर्ज 1026 मामलों का अंतिम रूप से निपटान कर दिया है । तथापि, इसमें वैसे मामले शामिल नही हैं जिन्हें पुनर्वास योजना को धीमी गति से लागू किये जाने के कारण निपटाये जाने के बाद पुनः शुरू किया गया और वैसे मामले भी जिस पर बी०आई० एफ०आर० ने निर्णय लिया लेकिन अपील करने पर उन्हें पुनर्वास के लिये वापस भेजा गया ।

(ख) दिनांक 31-1-94 की स्थिति के अनुसार 432 मामले बी०आई०एफ०आर० के प्रक्रियाधीन थे । इन संदर्भों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

i.	सहमति/टिप्पणियों के लिये परिचालित योजना प्रारुप	36
ii.	प्रथमदृष्टया समापन पर विचार किया गया और जारी किया गया कारण बताओ नोटिस	76
iii.	पुनः शुरु किये गये लेकिन अभी तक निपटाये नहीं गये या उपर्युक्त (i) और (ii) में शामिल नहीं किये गये मामले	42
iv	रिमाण्ड किये गये लेकिन अभी तक निपटाये नहीं गये या उपर्युक्त (i) और (ii) में शामिल नहीं किये गये मामले	13
v.	न्यायलय/ए०ए० आई० एफ०आर० द्वारा रोक लगाई गई कार्यवाहियां	35
vi.	शाखाओ को आवंटित किये जाने की प्रतीक्षा में	2
vii.	जांच चल रही है	232

(ग) 432 मामलों का राज्य-वार आंकड़ा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

1.	आन्ध्र प्रदेश	45
2.	असम	4
3.	बिहार	15
4.	चण्डीगढ़	0
5.	दादरा और नागर हवेली	20
6.	गोवा दमन और दीव	30
7.	गुजरात	31
8.	हरियाणा	11
9.	हिमाचल प्रदेश	8
10.	जम्मू व कश्मीर	1
11.	केरल	22
12.	कर्नाटक	23
13.	मध्य प्रदेश	30
14.	महाराष्ट्र	72
15.	नई दिल्ली	4

16.	नागालैण्ड	1
17.	उड़ीसा	13
18.	पाण्डिचेरी (B)	3
19.	पंजाब	11
20.	राजस्थान	17
21.	तमिलनाडू	25
22.	त्रिपुरा	0
23.	उत्तर प्रदेश	58
24.	पश्चिम बंगाल	38
	कुल :	432

Retiring the Foreign loans by Private Industrial Undertakings/PSUs by Sale Proceeds Abroad

2108. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that certain private industrial undertakings have taken steps to retire their foreign debts through their sale proceeds abroad; if so, whether the Government have monitored information in this regard and what are the details thereof; and

(b) what is the quantum of foreign loans contracted by the PSUs, yearwise and companywise, during the past three years and whether any proposal is under consideration to retire the foreign loans through their sale proceeds abroad and what are the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. ABRAR AHMAD): (a) and (b) Separate schemes are not in place for the private and public enterprises for retiring foreign debts through sale proceeds abroad. Since January 1992, Reserve Bank of India (RBI) have introduced a scheme for raising foreign currency loans on a self liquidating basis that allows Indian companies that are predominantly engaged in exports and 100 per cent EOUs to avail foreign currency loans which are to be repaid only out of net foreign exchange earnings by the unit concerned. This scheme is monitored by RBI and the details of its implementation are given in the enclosed statement—I (*See* below)

Unless approved by Government, companies are not permitted to retire foreign debt prematurely out of sale proceeds abroad. However, under the existing guidelines, prepayment of foreign currency loans is permitted when the outstandings do not exceed US Dollar 1 Million, or equivalent thereof, and only in cases where there are no penalities for prepayment. This limit is subject to review from time-to time. In cases where prepayment is approved by the Ministry of Finance, sale proceeds may be used for retiring foreign currency loans.

The quantum of foreign loans contracted by PSUs, yearwise and companywise during the past three years are given in the enclosed statement—II.

Statement—I

Status of the Scheme for self Liquidating Foreign Currency Loans administered by the Reserve Bank of India.

(Values in Million)

No. of Approvals	Loan Currency	Amount of Loan	Amount Drawn	Amount Repaid
100	US Dollar	236.42	34.43	0.53
	Deutsche Mark	22.74	0.50	0 00
	Swiss Franc	1.09	1.05	0 00
	Yen	326.00	0.00	0 00
	Pound Sterling	2.42	0.00	0.47
	Norwegian Guilder	0.58	0.30	0.00
	Danish Kroner	1.00	0.00	0.00
	Hongkong Dollar	0 17	0.17	0.04